भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2172

दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

सबला योजना

2172 . श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्री भोला सिंहः
डॉ. जयंत कुमार रायः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किशोरियों के सशक्तिकरण की योजना सबला शुरू की है, यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और इसके तहत अब तक क्या उपलब्धियां हुई हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और इसके प्रारंभ से अब तक इसके अंतर्गत कितनी किशोरियां लाभान्वित हुई हैं;

(ग) सबला योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) सबला योजना के निष्पादन समीक्षा का ब्यौरा और परिणाम क्या है तथा इसके कार्यान्वयन में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) क्या उक्त योजना का विस्तार अतिरिक्त जिलों में किए जाने का विचार है, यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत जारी किए गए पोषाहार पूरकों की मात्रा सहित इस संबंध में उठाए गए कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ड़): 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों के आत्म-विकास और सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम- सबला वर्ष 2010 में देश के 205 जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी। इस योजना का नाम बदलकर किशोरियों के लिए योजना कर दिया गया और 2017-18 में देश भर के अतिरिक्त 303 जिलों में इसका विस्तार किया गया। इसके बाद, दिनांक 01.04.2018 से, इस योजना को देश के सभी जिलों में विस्तारित किया गया था, जिसमें केवल 11-14 वर्ष के आयु वर्ग में

स्कूल न जाने वाली किशोरियों को शामिल किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रवर्तन के साथ, इस योजना के लाभार्थियों की संख्या में गिरावट देखी गई क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 11-14 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है और सभी किशोरियां स्कूल जाने की हकदार हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, किशोरियों के लिए योजना को दिनांक 01.04.2022 से संशोधित किया गया था और इसे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में मिला दिया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य आकांक्षी जिलों और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में किशोरियों (14-18 वर्ष) के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए उन्हें पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है।

इस योजना में दो घटक शामिल हैं, अर्थात् पोषण और गैर-पोषण। पोषण घटक के अंतर्गत, सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित पूरक पोषण एक वर्ष में अधिकतम 300 दिनों के लिए टेक होम राशन (टीएचआर) (कच्चा खाद्य सामग्री नहीं) के रूप में प्रदान किया जाता है। गैर-पोषण घटक विभिन्न मंत्रालयों के साथ अभिसरण पर आधारित है जिसमें आईएफए अनुपूरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण आदि प्रदान किए जाते हैं।

इस योजना के तहत लाभार्थी 14-18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियां हैं। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा **अनुलगनक-I** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

सबला योजना के संबंध में दिनांक 15.12.2023 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2172 के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

एसएजी के तहत लाभार्थियों की संख्या*

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	* **लाभार्थियों की संख्या (2023-24)**
1	आंध्र प्रदेश	14736
2	अरुणाचल प्रदेश	14848
3	असम	159891
4	बिहार	258944
5	छत्तीसगढ	128976
6	गुजरात	78207
7	हरियाणा	18545
8	हिमाचल प्रदेश	17165
9	जम्मू एवं कश्मीर	20157
10	झारखंड	261919
11	कर्नाटक	1686
12	केरल	19352
13	मध्यप्रदेश	154954
14	महाराष्ट्र	119365
15	मणिपुर	52641
16	मेघालय	57187
17	मिजोरम	23552
18	नागालैंड	27347
19	ओडिशा	298346
20	पंजाब	30265
21	राजस्थान	46833
22	सिक्किम	9462
23	तमिलनाडु	40777
24	तेलंगाना	35330
25	त्रिपुरा	35552
26	उत्तरप्रदेश	267262
27	उत्तराखंड	77196
	कुल	**2270495**

* नवंबर 2023 के लिए पोषण ट्रैकर डेटा के अनुसार

******